



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 03.04.2024

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस किया गया बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में सोशल मीडिया सेल इटावा एवं थाना सैफई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत सोशल मीडिया सैल इटावा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सतर्क निगरानी रखी जा रही थी, इसी दौरान 01 युवक का 03 अवैध तमंचों के साथ वायरल फोटो प्राप्त हुआ । जिसके संबंध में इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर जानकारी प्राप्त कर थाना सैफई को अवगत कराया गया । जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना सैफई पर मु0अ0सं0 70/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया, इसी क्रम में थाना सैफई पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत रकुइया नहर पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर 01 अभियुक्त को नगला केहरी टेढ़ तिराहे के पास से समय 06:00 बजे अवैध तमंचे व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि सैफई में कोहिनूर और भौकाल नाम के 02 गैंग ग्रुप चलते हैं जिनमें से वह कोहिनूर ग्रुप का सदस्य है । ये दोनों ग्रुप लोगों में भय व्याप्त करने के लिये अवैध तमंचो का प्रयोग करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धर्मेंश पुत्र सतीश चन्द्र निवासी नगला केहरी टेढ़ थाना सैफई जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 70/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा ।

बरामदगी:-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम- प्रथम टीम- उ0नि0 यशोदा रानी प्रभारी मीडिया सेल इटावा, का0 अभय शुक्ला, का0 राहुल प्रजापति, का0 अमन चौधरी, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 नीरज पाल, का0 विशाल चौधरी ।

द्वितीय टीम- निरी0 श्री बलराम मिश्रा प्रभारी थाना सैफई, उ0नि0 पवन कुमार शर्मा, का0 गौरव देशवाल, का0 अंकित चौहान ।